इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017—चैत्र 6, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (3).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ) एवं (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-25 2015-2-पांच (10), दिनांक 31 मार्च, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में होटल के स्थान के लिए कॉलम (3) में दर्शाई गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस होटल बार (एफ एल-3) अनुज्ञप्तियों और रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) अनुज्ञप्तियों के लिए विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	स्थान (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में	रुपए 13,50,000/-
2.	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में.	रुपए 8,00,000/-
3.	उज्जैन, सागर एवं रीवा नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 9,00,000/-
4.	उज्जैन, सागर एवं रीवा नगर निगम क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में.	रुपए 7,00,000/
5.	उपरोक्त से भिन्न, किसी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में.	रुपए 7,00,000/-
6.	उपरोक्त से भिन्न.	रुपए 5,50,000/-
7.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैरिटेज होटल जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त हो.	रुपए 2,50,000/-
8.	मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व में संचालित होटल.	स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के होटल के लिए देय अनुज्ञप्ति फीस का 50 प्रतिशत.

(1)	(2)	(3)
9.	**रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) अनुज्ञप्ति**	
	वन्य पर्यटन क्षेत्र, जिसे पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए.	रुपए 3,50,000/-

10. **ईको एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थलों पर होटल बार अनुज्ञप्ति—**

अनुक्रमांक (1)	स्थान (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	क—श्रेणी	रुपए 2,50,000/-
2.	ख—श्रेणी	रुपए 2,00,000/-
3.	ग-श्रेणी	रुपए 1,50,000/-

टिप्पण:—(1) होटल के एक रेस्तरां एवं रूम सर्विस के लिए उपरोक्त वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस ही देय होगी. होटल में एक से अधिक रेस्तरां होने पर, उनमें मदिरा परोसने के लिए, ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त रेस्तरां के लिये (मदिरा का संग्रह एक ही स्थान पर रखते हुए) देय वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि, पृथक् से अनुज्ञप्ति फीस के रूप में प्रभारित की जाएगी.

(2) नवीन होटल बार (एफ.एल.-3), रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3-क) अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जिस माह में अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया है, उसे पूर्ण एक माह मानकर एवं वर्ष की शेष अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस क्र. 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीकरण की दशा में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (3).—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2-पांच (3), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V(3).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-25-2015-2-V-(10), dated the 31st March, 2016, the State Government, hereby,

prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F. L.-3) Licences and Resprt Bar (F. L.-3-A) Licences, as shown in column (3) of the Table below for the location of hotel in the corresponding entry in column (2) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Licence fee per annum (3)
1.	In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 13,50,000/-
2.	The area situated in other than the Municipal Corporation areas of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 8,00,000/-
3.	Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa.	Rs. 9,00,000/-
4.	The area situated in other than the Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa.	Rs. 7,00,000/-
5.	Other then above, in any town area of the district head quarter.	Rs. 7,00,000/-
6.	Other then above.	Rs. 5,50,000/-
7.	Heritage Hotal situated in rural areas which are recognized by Tourism Department.	Rs. 2,50,000/-
8.	The Hotel run in ownership of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation.	According to the location 50% of the payable licence fees for private sector Hotels.
9.	**For Resort Bar (F. L.-3-A) Licences**	
	Forest Safari area Schedule by the Commercial Tax Department as per recommendation of the Tourism Department.	Rs. 3,50,000/-
10.	**Hotel, bar license at Category of Place identified under eco-adventure tourist—**	

S. No. (1)	Place (2)	Lincence fee per annum (3)
1.	A-Category	Rs. 2,50,000/-
2.	B-Category	Rs. 2,00,000/-
3.	C-Category	Rs. 1,50,000/-

Note:—(1) The above mentioned licence fee shall be payable for the one Restaurant and room service of the Hotel. Having more than on restaurant in Hotel, for such each additional restaurant to servings liquor (Liquor stored in one place), additional licence fee chargeble 10% of the separately payable annual license fee.

(2) The annual licence fee for New Hotel Bar (FL-3) and Resort Bar (FL-3-A), the month will be considered as a whole month in which the licence is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly licence fee will be charged 1/12 of the annual licence fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it will be charged for the whole year.

(3) This notification shall come into force, from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (3-1).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ) तथा (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-25-2015-2-पांच (09), दिनांक 31 मार्च, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित नगर निगम वाले शहर एवं स्थानों पर स्थित रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) के लिए उसके (सारणी के) कॉलम (3) में दर्शाये गए अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक (1)	रेस्तरां का स्थान (2)	वार्षिक लायसेंस फीस (3)
1.	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में	रुपए 9,00,,000/-
2.	उज्जैन, सागर एवं रीवा नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 8,00,000/-
3.	अन्य नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 7,00,000/-
4.	उपरोक्त से भिन्न में.	रुपए 5,50,000/-
5.	वन्य पर्यटन क्षेत्र, जिसे पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाये.	रुपए 1,50,000/-
6.	क्रूज बोट.	रुपए 1,00,000/-
7.	मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/निगम के स्वामित्व की इकाइयों में संचालित रेस्तरां.	स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के रेस्तरां के लिए देय लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत.

नोट:—नवीन रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस जिस माह में अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है, उसे पूर्ण एक माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (3-1).—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2-पांच (3-1) दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March, 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V(3-1).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this

Department's earlier Notification No. F-B-1-25-2015-2-V-(09), dated the 31st March, 2016, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar (F. L.-2) Licences as shown in column (3) of the Table below for the category of place and city having Municipal Corporation mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Place of Restaurant (2)	Licence fee per annum (3)
1.	In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 9,00,000/-
2.	In Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa.	Rs. 8,00,000/-
3.	In other Municipal Corporation area.	Rs. 7,00,000/-
4.	Other then above.	Rs. 5,50,000/-
5.	Forest safari area schedule by the Commercial Tax Department as per recommended by the Tourism Department.	Rs. 1,50,000/-
6.	Cruise Boat.	Rs. 1,00,000/-
7.	Restaurant run in ownership of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation:	As per location for the Private sector Restaurant 50% of the payable licence Fee.

Note:—The annual licence fee for the new Restaurant Bar (FL-2), the month shall be considered as a whole month in which the licence is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly licence fee shall be charged 1/12 of the annual licence fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it shall be charged for the whole year.

2. This notification shall come into force, from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (3-2).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) तथा (छ) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-25-2015-2-पांच (11), दिनांक 31 मार्च, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित अनुज्ञप्ति के स्थान के लिए वाणिज्यिक क्लब बार (एफ. एल.-4-क) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के लिए उसके कॉलम (4) दर्शाये गये अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक (1)	प्रकार (2)	श्रेणी (3)	वार्षिक लायसेंस फीस (4)
1.	सिविलियन क्लब बार	(एफ.एल. 4)लायसेंस	रुपये 1,00,000/-
2.	व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) लायसेंस.	नगर निगम वाले जिलों में स्थित क्लब.	रुपये 9,00,000/-
		उपरोक्त से भिन्न अन्य जिलों में स्थित क्लब.	रुपये 4,50,000/-

नोट:—नवीन क्लब बार (एफ.एल. 4/एफ.एल.-4-क), अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस जिस माह में अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है, उसे पूर्ण एक माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (3-2).—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2-पांच (3-2), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March, 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V(3-2).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) of sub-section (2) of section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's earlier notification No. F-B-1-25-2015-2-V-(11), dated the 31st March, 2016, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Commerical Club Bat (F. L.-4-A) and Civilian Club Bar (F. L.-4) Licences as shown in column (4) of the Table below for the place of the Licence mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Type of Licence (2)	Place of the licence (3)	Licence fee per annum (4)
1.	Civilian Club Bar	(F. L.-4) Licence	Rs. 1,00,000/-
2.	Commercial Club Bar (F. L.-4-A) Licence	Club situated at district having municipal Corporation	Rs. 9,00,000/-
		Club situated in a district other than above mentioned.	Rs. 4,50,000/-

Note:—The annual licence fee for the new Club Bar (FL-4/FL-4-A), the month shall be considered as a whole month in which the licence is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly licence fee shall be charged 1/12 of the annual licence fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it shall be charged for the whole year.

2. This notification shall come into force, from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (4).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की इस निमित्त जारी अधिसूचना क्रमांक (3) बी-1-36-2009-2-पांच दिनांक 3 अप्रैल, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अन्य देशों से आयायित मूल में बोतल बंद विदेशी मदिरा पर नीचे यथा विनिर्दिष्ट बोतल फीस विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	आयातित विदेसी मदिरा (मूल में बोतल बंद) (2)	बोतल फीस की दर (3)
1	स्पिरिट	रुपये 500.00 प्रति 750 मि. ली. की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक
2	वाईन	रुपये 50.00 प्रति 750 मि. ली. की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक
3	बीयर	रुपये 60.00 प्रति 650 मि. ली. की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी 1-01-2017-2-पांच (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 1-01-2017-2-पांच (4), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (4).—In exercise of the powers conferred by cluase (a) of sub-rule (2) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liqour Rules, 1996 and in supersession of this department's notification No. (3) B-1-36-2009-2-V, dated 03th April 2010 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the bottle fee on Bottled in Origin (BIO) foreign liquor imported from other countries as specified below, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Imported Foreign Liquor (BIO) (2)	Rate of Bottle Fee (3)
1	Spirit	Rs. 500.00 per quart bottle of 750 M.L. or proportionate
2	Wine	Rs. 50.00 per quart bottle of 750 M.L. or proportionate
3	Beer	Rs. 60.00 per quart bottle of 650 M.L. or proportionate

(2) This notification shall come into force, from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी 1-01-2017-2-पांच (5).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-10-2016-2-पांच (8), दिनांक 31 मार्च 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, आबकारी शुल्क, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं से संबंधित है, उसके (सारणी के) कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर, विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)		आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं का विवरण (2)	आबकारी शुल्क की दर (3)
1.		**देशी मंदिरा** (25 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा प्लेन).	रुपये 262/- प्रति प्रूफ लीटर
2.		**असैनिक (सिविलियन) के लिये विदेशी मदिरा (स्पिरिट)** जब घोषित प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य).	
	(क)	रुपये 600/- तक	रुपये 305/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख)	रुपये 601/- से रुपए 700/- तक	रुपये 340/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ग)	रुपये 701/- से रुपए 800/- तक	रुपये 380/- प्रति प्रूफ लीटर
	(घ)	रुपये 801/- से रुपए 1100/- तक	रुपये 550/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ङ)	रुपये 1101/- से रुपए 1500/- तक	रुपये 615/- प्रति प्रूफ लीटर
	(च)	रुपये 1501/- से रुपए 2000/- तक	रुपये 750/- प्रति प्रूफ लीटर
	(छ)	रुपये 2001/- से रुपए 3000/- तक	रुपये 850/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ज)	रुपये 3001/- से रुपए 4000/- तक	रुपये 1025/- प्रति प्रूफ लीटर
	(झ)	रुपये 4001/ से रुपए 6000/- तक	रुपये 1350/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ञ)	रुपये 6001/- से रुपए 8000/- तक	रुपये 1600/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ट)	रुपये 8001/- से रुपए 10000/- तक	रुपये 2100/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ठ)	रुपये 10001/- से अधिक	रुपये 2625/- प्रति प्रूफ लीटर
3.		**असैनिक (सिविलियन) के लिये विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर**	
	(क)	ड्राट बीयर	रुपये 30/- प्रति बल्क लीटर
	(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न बीयर	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 125 प्रतिशत प्रभारित की जायेगी.
	(ग)	लो अल्कोहोलिक बिवरेजेस (पिये जाने के लिये तैयार) जिसमें 10 प्रतिशत तक एल्कोहल हो.	रुपये 95/- प्रति बल्क लीटर
4.		**मद्य (वाईन)**	
	(क)	मद्य (वाईन)	रुपये 95/- प्रति बल्क लीटर
	(ख)	मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में ही निर्मित मद्य (वाईन)	शून्य

(1)	(2)	(3)
5.	**भांग**	
(क)	नीलाम की गई भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए	रुपये 100 प्रति किलोग्राम
(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों/संस्थाओं के लिए.	रुपये 300/- प्रति किलोग्राम

6. रक्षा सेवा कार्मिकों को प्रदाय की जाने वाली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स द्वारा, रम के लिये दी जाने वाली ड्यूटी के 20 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा [व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि] के लिये दी जाने वाली ड्यूटी के 30 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी.

स्पष्टीकरण-1 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित हैं, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां, जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हों.

स्पष्टीकरण-2 माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर आदि.

स्पष्टीकरण-3 "रक्षा सेवा कार्मिक" से अभिप्रेत है, ऐसे रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं.

7. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी 1-01-2017 2-पांच (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 1-01-2017-2-पांच (5), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (5).—In exercise of the powers conferred by section 25 read with Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-10-2016-2-V (8), dated 31st March, 2016 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the excise duties so far as they relate to the excisable articles specified in column (2) of the Table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof with effect from 1st April, 2017 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Description of Excisable Articles (2)	Rate of excise duty (3)
1.	**Country Spiced** (25 degree under proof Spcied Rs. 262/- per proof litre Country Spirit and 50 degree under proof Plain Country Spirit).	

(1)		(2)	(3)
2.		**Foregin Liquor (Spirit) for Civilians** When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-Foreign Liquor Warehouse price is,	
	(a)	Upto Rs. 600/-	Rs. 305/- per proof litre.
	(b)	Rs. 601/- and upto Rs. 700/-	Rs. 340/- per proof litre.
	(c)	Rs. 701/- and upto Rs. 800/-	Rs. 380/- per proof litre.
	(d)	Rs. 801/- and upto Rs. 1100/-	Rs. 550/- per proof litre.
	(e)	Rs. 1101/- and upto Rs. 1500/-	Rs. 615/- per proof litre.
	(f)	Rs. 1501/- and upto Rs. 2000/-	Rs. 750/- per proof litre.
	(g)	Rs. 2001/- and upto Rs. 3000/-	Rs. 850/- per proof litre.
	(h)	Rs. 3001/- and upto Rs. 4000/-	Rs. 1025/- per proof litre.
	(i)	Rs. 4001/- and upto Rs. 6000/-	Rs. 1350/- per proof litre.
	(j)	Rs. 6001/- and upto Rs. 8000/-	Rs. 1600/- per proof litre.
	(k)	Rs. 8001/- and upto Rs. 10000/-	Rs. 2100/- per proof litre.
	(l)	exceeds Rs. 10001/-	Rs. 2625/- per proof litre.
3.		**Foregin Liquor (Malt) Beer for Civilians**	
	(a)	Draught Beer	Rs. 30/- per bulk litre
	(b)	Beer other than above clause (a)	125 percent of per case Ex-Foreign Liquor Ware house price.
	(c)	Low-Alcoholic Beverages to drink which contains upto 10 Percent of Alcohol.	(Read Rs. 95/- per bulk litre)
4.		**Wines**	
	(a)	Wines	Rs. 95/- per bulk litre.
	(b)	Wine made from grapes produced in State of Madhya Pradesh and Manufactured in State of Madhya Pradesh.	Zero
5.		**Bhang**	
	(a)	For licensees of auctioned shops of Bhang, Bhang-Ghota and Bhang-Sweets.	Rs. 100/- per kilogram
	(b)	for Licensees/institutions other than above clause (a)	Rs. 300/- per kilogram.
6.		The Excise Duty of the Indian made foreign liquor issued to the Defence Services personnel shall be charged for (Rum) at the rate of 20 percent and for other Indian made foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) ect.] at the rate of 30 percent of duty, payable by the Civilians.	

Explanation-(1) Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient.

Explanation-(2) Malt liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider etc.

Explanation-(3) "Defence services personnel" shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organization and the personnel of the Border Security Force and the personnel of the Indo-Tibetan Border Police and personnel of the Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respecitive authorized wholesale military canteens.

7. This notification shall come into force, from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (6).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-च के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-38-2016-2 पांच (27), दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्येक किस्म की देशी स्पिरिट के लिये पैकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पैट इत्यादि) एवं उपयोगिता के अनुसार (जैसे स्थानीय, निर्यात इत्यादि) और पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180 मिलीलीटर इत्यादि) के लेबलों के पंजीयन हेतु समेकित रूप में, लेकिन उपार्जन के प्रत्येक स्रोत के लिये पृथक्-पृथक् प्रति नामपत्र (लेबल) पंजीयन फीस निम्नानुसार विहित करती है :—

अनुक्रमांक (1)	देसी मदिरा की किस्म (2)	पंजीयन फीस (3)
1.	देशी मदिरा (मसाला) (प्रत्येक फ्लेवर के लिये पृथक्-पृथक्)	रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) प्रत्येक बॉटलिंग भाण्डागार के लिये.
2.	देशी मदिरा (प्लेन) (सादा अथवा प्रत्येक फ्लेवर के लिये पृथक्-पृथक्)	रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) प्रत्येक बॉटलिंग भाण्डागार के लिये.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी 1-01-2017-2-पांच (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 1-01-2017-2-पांच (6), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (6).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3-F of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 and in supersession of this Department's Notification No. F-B-1-38-2016-2-V (27), dated 26th December, 2016 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes for the year 2017-18, the consolidated Label registration fee for each type of country spirit separate for each source of supply, packing material wise (viz Glass, Pet etc.), and usage wise (viz local, export etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180 milliliters etc.) as follows :—

S. No. (1)	Type of Country Spirit (2)	Registration Fees (3)
1.	Country Spirit (spice) (separate for each flavour)	Rs. 1,00,000/- (Rupees one Lac) for each bottling warehouse
2.	Country Spirit (Plain) (separate for plain or each flavour)	Rs. 1,00,000/- (Rupees one Lac) for each bottling warehouse

(2) This notification shall come into force, from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (7).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप-नियम (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-02-2014-2-पांच (8) दिनांक 28 जनवरी, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये एफ. एल.-9, एफ. एल.9-क, बी-3 एवं बी-3 के एफ. एल.-9-क अनुज्ञप्तियों के अन्तर्गत विनिर्मित जो एफ. एल.-10-क तथा एफ. एल-10-ख अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित कर संग्रहीत की गई हैं, विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन) की पैंकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पैट, केन आदि), उपयोगिता अनुसार (जैसे स्थानीय, मिलिट्री, निर्यात आदि) और पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180, 90, 60 मिलीलीटर इत्यादि) पर समेकित रूप में, लेकिन आपूर्ति के प्रत्येक स्रोत के लिये प्रति नामपत्र (लेबल) निम्नानुसार पृथक् पृथक् वार्षिक पंजीयन फीस विहित करती है:—

अनुक्रमांक (1)	मद (2)	वर्ष 2016 17 (3)	वर्ष 2017-18 (4)
1	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ. एल.-9 अनुज्ञप्ति के अधीन	रुपये 2,00,000/-	रुपये 2,50,000/-
2	विदेशी मदिरा (स्पिरिट एफ.एल. 9-क अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत (प्रत्येक फ्रेन्चाईजी/उप पट्टेदार अनुबंध के अधीन).	रुपये 5,00,000/-	रुपये 5,00,000/-
3	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ. एल.-10-क अनुज्ञप्ति के अधीन.	रुपये 3,00,000/-	रुपये 3,00,000/-
4	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ. एल. 10-ख अनुज्ञप्ति के अधीन.	रुपये 1,00,000/-	रुपये 1,00,000/-
5	विदेशी मदिरा (बीयर) बी-3 अनुज्ञप्ति के अंतर्गत	रुपये 2,00,000/-	रुपये 2,00,000/-
6	विदेशी मदिरा (बीयर) बी-3/9-क अनुज्ञप्ति के अधीन	रुपये 2,00,000/-	रुपये 2,00,000/-
7	विदेशी मदिरा (बीयर) एफ. एल.-10-क अनुज्ञप्ति के अधीन.	रुपये 2,00,000/-	रुपये 2,00,000/
8	विदेशी मदिरा (बीयर) एफ. एल.-10-ख अनुज्ञप्ति के अधीन.	रुपये 1,00,000/-	रुपये 1,00,000/
9	विदेशी मदिरा (वाईन) एफ. एल.-10-क एवं एफ. एल. 10-ख अनुज्ञप्ति के अधीन.	रुपये 10,000/-	रुपये 10,000/
10	विदेशी मदिरा (वाईन बी-3 अनुज्ञप्ति के अधीन) मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश में विनिर्मित वाईन के लिए पूर्व के समान.	रुपए 1,000	रुपए 1,000
11	राज्य से बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (स्पिरिट) प्रदाय किये जाने हेतु.	रुपये 1,00,000/-	रुपये 1,00,000/-
2	राज्य से बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (बीयर) प्रदाय किये जाने हेतु.	रुपये 1,00,000/-	रुपये 1,00,000/-
3	राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (वाईन) प्रदाय किये जाने हेतु.	रुपये 10,000/-	रुपये 10,000/

(1)	(2)	(3)	(4)
14	विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन) के अन्य किसी देश को निर्यात किये जाने हेतु प्रति लेबल.	रुपये 50,000/-	रुपये 50,000/-

यह अधिसूचना वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (7).—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2-पांच (7) दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (7).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) and (3) of Rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's Notifcation No.-F-B-1-02-2014-2-V(8), dated 28th January, 2014 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes, for the year 2016-17 and 2017-18, for foreign Liquor (spirit, beer and wine) manufactured under Fl-9,A, B-3 and FL-9-A of B-3 licences, which is imported and stored under FL-10-A and FL-10-B licences, per label, the consolidated annual label registration fee separate but for each source of supply, packing material wise (viz Glass, Pet, Can etc.), as per usage (viz local, export, military etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180, 90, 60 mililiters etc.), as follows:—

S. No. (1)	Item (2)	Year 2016-17 (3)	Year 2017-18 (4)
1	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-9 Licence	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,50,000/-
2	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-9-A Licence (Under each frenchisee/sub leassee agreement)	Rs. 5,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
3	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-10-A Licence	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
4	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-10-B Licence	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
5	Foreign Liquor (Beer) Under B-3 Licence	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
6	Foreign Liquor (Beer) Under B-3/9-A Licence	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
7	Foreign Liquor (Beer) Under FL-10-A Licence	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
8	Foreign Liquor (Beer) Under FL-10-B Licence	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Foreign Liquor (Wine) Under FL-10-A & FL-10-B Licence	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-
10	Foreign Liquor (Wine Under B-3 Licence) Same as previous for wine manufactured in Madhya Pradesh from grapes cultivated in Madhya Pradesh.	Rs. 1,000/-	Rs. 1,000/-
11	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Spirit) to CSD./Paramilitary.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
12	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Beer) to CSD,/Parmailitary.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
13	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Wine) to CSD.,/Paramilitary.	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-
14	Foreign Liquor (Spirit, Beer & Wine) Exported to any other Country each Lable.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2016 for the year 2016-17 and shall come into force with effect from 1st April 2017 for the year 2017-18.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017 2-पांच (8).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में,—

नियम 8 में उपनियम (1) में, खण्ड (ख ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख ख ख) एफ. एल. 2-क (विशेष रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति) : एफ. एल. 2-क अनुज्ञप्तिधारी रेस्तरा के ग्राहकों को भोजन या हल्के भोजन के साथ अनुज्ञप्त परिसरों में उपभोग के लिये विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा. यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा मानक की सुविधायुक्त रेस्तरां को दी जा सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए."

टीप.—यह "विशेष रेस्तरां बार" अनुज्ञप्ति केवल ऐसी विदेशी मदिरा दुकानों (एफ. एल.-1 / एफ. एल.-1क क क क) को जो राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग से 500 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर ऐसी शर्तों पर, विस्थापित की गई हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, मंजूर की जाएगी.

2. प्ररूप एफ. एल. 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्ररूप एफ.एल. 2-क"

(विशेष रेस्तरा बार अनुज्ञप्ति)

विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड (खखख) के अधीन और रुपये .... जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में, यह अनुज्ञप्ति, श्री .... निवासी .... को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विदेशी मदिरा को खुली बोतलों में से नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित तथा .... नगर में .... स्थित अनुज्ञप्त परिसर से, विक्रय करने हेतु .... से .... तक के लिये, एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :—

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी मदिरा (ड्राट बीयर को छोड़कर) उस क्षेत्र की स्वयं को आवंटित विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान से ही प्राप्त करेगा. जैसा कि कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बिक्रीत विदेशी मदिरा का परिसर में ही उपभोग करना होगा.

3. अनुज्ञप्तिधारी, खुली बोतलों से केवल फुटकर (लूज) विदेशी मदिरा का विक्रय, भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ करेगा.

4. अनुज्ञप्तिधारी, मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टाक तथा विक्रय नहीं करेगा.

5. अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त स्टाक के सभी अनुज्ञा पत्र एवं बीजक (इनवाईस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा.

6. अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई स्टाक की गई और विक्रय की गई समस्त विदेशी मदिरा का सत्य लेखा प्रतिदिन संधारित करेगा.

(6-क) अनुज्ञप्तिधारी, माल्ट मदिरा (बियर) तथा वाइन से भिन्न समस्त विदेशी मदिरा का संग्रहण सील बोतलों में करेगा. विक्रय हेतु एक बार खोली जा चुकी बोतल के सिवाय प्रत्येक बोतल की धारिता कम से कम 700 मिली लीटर होगी. तथापि सिवाय, ड्राउट बियर, माल्ट मदिरा (बियर) तथा वाइन 325 मिली लीटर या अधिक धारिता के कैनों या कांच की बोतलों में संग्रहीत की जा सकेगी/ जाएगी.

7. अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी समय 240 क्वार्ट बोतल स्पिरिट और 600 बोतल बीयर से अधिक का स्टाक नहीं करेगा.

8. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों दो, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध हैं.

9. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंधों अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी आदेश के भंग होने पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी.

दिनांक .... अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

अनुसूची

स्थल का वर्णन	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2-पांच (8), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (8).—In exercise of the powers conferred by the clause (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

1. In the said Rules,—

In Rule 8, in sub-rule (1), after clause (bb), the following clause, shall be inserted, namely :—

"(bbb) F.L. 2-A (Special Restaurant Bar Licence) : F.L. 2-A licence holder may shall sell foreign liquor to the customer of the restaurant for consumption on the licensed premises with meals or snacks. This licence may be granted to restaurants having facilities of such scale and standard, as may be determined by the State Government."

Note.—"Special restaurant bar" licence shall only be granted to those forign liquior shops (F.L.-1 / F.L.-1 AAAA) which have been displaced by 500 meters or more away from the National / State highways, on such conditions as may be determined by the State Government.

2. After form F.L. 2, the following form shall be inserted, namely :-

"FORM F.L. 2-A"
(Special Restaurant Bar Licence)

Under [Clause (bbb)] of sub-rule (1) of Rule 8 of the Foreign Liquor Rules, 1996 and in consideration of Rs. .... which has been paid in advance, licence is hereby granted to Shri .... Resident of .... to sell foreign liquor from open bottles with meals or snacks at the licensed premises of the restaurant described in the Schedule below and situated in .... in the town of .... from .... to .... subject to the following conditions :—

CONDITIONS

1. The licensee shall procure foreign liquor (excluding draught beer) only from a reatail foregin liquor shop which has been allotted to him in that area as specified by Collector.

2. The foreign liquor sold under this license must be consumed on the premises.

3. The licensee shall sell only loose foreign liquor from opne bottles with meals or snacks.

4- The licensee shall not stock and sell foreign liquor which is unfit for human consumption.

5. The licensee shall preserve all the permits and invoices of stocks received in proper order and produce them before the authorised officer for inspection.

6. The licensee shall maintain day to day true account of all the foreign liquor received, stocked and sold.

(6-A). The licensee shall stock all foreign liquor other than malt liquor (beer) and wine, in sealed bottles, each containing atleast 700 millilitre, except that ones that have been open for sale. However, except draught beer, malt liquor (beer) and wine can/shall be stocked in cans or glass bottles of the capacity of 325 millilitre or more.

7. The licensee shall not stock more than 240 quart bottes of spirit and 600 bottles of beer at any time.

8. The licensee is bound by General Licence Conditions except condition II,XXVII & XXX.

9. On breach of any condition of this licence or provisions of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 or rules made thereunder or orders issued by the Excise Commissioner, this licence Shall be suspended or cancelled by the Licensing Authority.

Date . .. . **Licensing Authority**

SCHEDULE

Description of site	Boundaries of the licensed premises			
	North	East	South	West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. This Notification shall come into force from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (9).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में,—

"(1) प्ररूप एफ.एल. 2 में, शर्तों में, अनुक्रमांक (8-ख) के खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "रुपये 40" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 100" स्थापित किए जाएं;

(2) प्ररूप एफ.एल. 3 में, शर्तों में, अनुक्रमांक (4) के खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "रुपये 40" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 100" स्थापित किए जाएं;

(3) प्ररूप एफ.एल. 3 क में, शर्तों में, अनुक्रमांक (3-क) के खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "रुपये 40" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 100" स्थापित किए जाएं; और

(4) प्ररूप एफ.एल. 4-क में, शर्तों में, अनुक्रमांक (3-क) के खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "रुपये 40" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 100" स्थापित किए जाएं".

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017 2-पांच (9), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (9).—In exercise of the powers conferred by the clause (g) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In Form F.L. 2, in the conditions, in clause (b), in serial number (8-B), for the word and figure "rupees 40", the word and figure "rupees 100" shall be substituted;

(2) In Form F.L. 3, in the conditions, in clause (b), in serial number (4), for the word and figure "rupees 40", the word and figure "rupees 100" shall be substituted;

(3) In Form F.L. 3-A, in the conditions, in clause (b), in serial number (3-A), for the word and figure "rupees 40", the word and figure "rupees 100" shall be substituted; and

(4) In Form F.L. 4-A, in the conditions, in clause (b), in serial number (3-A), for the word and figure "rupees 40", the word and figure "rupees 100" shall be substituted;

2. This notification shall come into force from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (10).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (17)-बी-1-48-2005-2-पांच, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन को आगामी 5 वर्ष की कालावधि के लिए आबकारी शुल्क से छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 1-01-2017-2-पांच (10), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (10).—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) and in supersession of this Departments's notification No. (17) B-1-48-2005-2-V dated 25th April, 2007, the State Government, hereby, exempts the Wine manufactured in Madhya Pradesh using the grapes cultivated in Madhya Pradesh from the Excise duty for a further period of 5 years.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017 2-पांच (11).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश की समस्त विदेशी आई.एम.एफ.एल./बीयर विनिर्माण इकाईयों तथा एफ.एल. 10-क एवं एफ.एल. 10-ख अनुज्ञप्तिधारियों पर राज्य के विदेशी मदिरा भाण्डागारों को परिवहन की जा रही विदेशी मदिरा के प्रत्येक परेषण पर नीचे यथाविनिर्दिष्ट परिवहन फीस विहित करती है:—

(1)	बीयर के लिए	रुपए 0.50 प्रति बल्क लीटर
(2)	विदेशी मदिरा स्पिरिट के लिए (वाईन को छोड़कर)	रुपए 1.00 प्रति प्रूफ लीटर

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1 01-2017-2-पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2 पांच (11), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (11).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government, hereby, prescribes the transport fee on each consignment of foreign liquor, transported to foreign liquor warehouses of state by all IMFL/BEER manufacturing units of Madhay Pradesh and F.L.10-A and F.L. 10-B Licensee as specified below:—

(1)	For Beer	Rs. 0.50 Per bulk Litre
(2)	For Foreign Liquor Spirit (Except wine)	Rs. 1.00 Per Proof Litre

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ बी-1-01-2017-2-पांच (12).—यत:, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि रुल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन किए बिना तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खण्ड (ङ), (च) तथा (ज) एवं उप-धारा (3) के परंतुक के साथ पठित धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग

की अधिसूचना क्रमांक बी-1-5-2015-पांच-(5), दिनांक 6 फरवरी, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, अधिसूचना क्रमांक (14)-पांच-पृ.आ., दिनांक 7 जनवरी, 1960 में प्रकाशित रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"1. दुकानों की अवस्थिति—

(क) मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग अथवा राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे के 500 मीटर की दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होगी.

(ख) मदिरा की बिक्री की दुकान राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होगी.

(ग) मदिरा की उपलब्धता को इंगित करने वाले समस्त साईनबोर्ड अथवा विज्ञापन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर निषिद्ध रहेगा.

(घ) मदिरा बिक्री की दुकान राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से सीधे पहुँचने के योग्य नहीं होगी.

(2) किसी फुटकर मदिरा दुकान को परिसर में मदिरा का उपभोग के लिए अनुज्ञप्ति देते समय निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाएगा, यदि दुकान—

(क) किसी मिल, कारखाने या अन्य स्थान के, जहां श्रमिकों का विशाल समूह नियोजित हो, आसपास में है, तो मिल के स्वामी या श्रमिकों के ऐसे नियोजक को, ऐसी दुकान खोलने के प्रस्ताव पर उनकी आपत्तियों को कथित करने का अवसर दिया गया है.

(ख) किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, किसी अस्तपाल, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की किसी कालोनी, किसी श्रमिक कालोनी या किसी बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन के निकट है या जहां राज्य सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की गई है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी दुकान, ऐसे स्थान के 50 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर स्थित है.

(3) दुकान की स्थिति ऐसी होगी कि उसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति देखे जाने से बच न सके, परन्तु वह ऐसी सुस्पष्ट भी नहीं होगी कि गुजरने वाले व्यक्ति उस ओर ध्यान देने को बाध्य हो जाएं.

(4) यदि ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के पश्चात्, किसी भी समय उप नियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई संस्था (शैक्षणिक या धार्मिक), अस्पताल या बस स्टैण्ड आदि, उस दुकान से पचास मीटर या उससे कम की दूरी के भीतर अस्तित्व में आते हैं तो परिसर में उपभोग के लिए अनुज्ञप्त कोई मदिरा दुकान, उप नियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर स्थित नहीं समझी जाएगी:

परन्तु, उपनियम (2) के खण्ड (क) एवं (ख) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे:—

(क) ऐसे परिसर में उपभोग हेतु अनुज्ञप्त मदिरा दुकान, जो तारीख 31 मार्च, 2007 से वर्तमान स्थल पर विद्यमान रही हो.

(ख) प्ररूप एफ.एल.-1 बी में अनुज्ञप्ति धारण करने वाली दुकानों को, यदि वे उप नियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करती हों.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) "**शैक्षणिक संस्था**" से अभिप्रेत है, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित या मान्यताप्राप्त कोई पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या सेकण्डरी स्कूल और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय किन्तु, इसमें कोचिंग संस्था सम्मिलित नहीं है.

(ख) "**धार्मिक संस्था**" से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो किसी धर्म की प्रोन्नति के लिए हो और उसमें सम्मिलित है ऐसा मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरिजाघर या सार्वजनिक धार्मिक पूजा का अन्य स्थान, जिनका मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंध किया जाता हो, या उसके स्वामित्व में हो और उसमें अन्य ऐसी धार्मिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें.

(ग) उप नियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दूरी का माप, दुकान के प्रवेश के मध्य बिन्दु से ऐसे निकटतम मार्ग से किया जाएगा जिससे कोई पदाति (पिडेसट्रिअन)—

(एक) यदि कोई अहाता दीवार है तो संस्था के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो संस्था के निकटतम प्रवेश के मध्य बिन्दु तक, या

(दो) यदि कोई अहाता दीवार है तो, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टैण्ड, स्टेशन या डिपो के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो, ऐसे बस स्टैण्ड, स्टेशन या डिपो की सीमा के निकटतम बिन्दु तक साधारणत: पहुंचता है.

(घ) "**बस स्टेण्ड**" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम या नगरपालिक निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय का बस स्टेण्ड,

(ङ) "**अस्पताल**" से अभिप्रेत है, राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी पूर्त (चेरिटेबल) संस्था द्वारा चलाया जा रहा कोई अस्पताल या उपचर्या गृह जहां 10 रोगियों की भर्ती तथा उपचार के लिए कम से कम 10 बिस्तरों की सुविधाएं उपलब्ध हों.

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2-पांच (12), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (12).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Rule of General Application should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (e), (f) and (h) of sub-section (2), read with proviso to sub-section (3) of Section 62 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this department's Notification No. B-1-5-2015-V(5) dated 6th February, 2015, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Rules of General Application published under Notification No. (14) V-SR, dated 7th January, 1960 namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 1, the following rule shall be substituted, namely:—

"1. Location of shops—

(1) No shop for the sale of liquor shall be substituted within a distance of 500 metres of the outer edge of the national or state highway or of a service lane along the highway.

(2) No shop for the sale of liquor shall be visible from a national or state highway.

(3) All signages and advertisements of the availability of the liquor shall be prohibited on national and state highway.

(4) No shop for the sale of liquor shall be directly accessible from a national or state highway.

(2) At the time of granting license to a retail shop for the consumption of liquor on the premises, the following conditions shall be considered, if the shop is—

(a) In the neighborhood of a mill, factory or other place where a large body of labourers is employed, the mill owner of such employer of labourers an opportunity of stating their objections to the proposal for opening of such shop has been given.

(b) near a religious or any educational institution, a hospital, a colony of members of Scheduled Castes, a labour colony, or a bus stand, railway station or where the sanction of the State Government is obtained except when such shop is situated at a distance of 50 meters or more from such place.

(3) The position of a shop shall be such that no person entering it shall escape observation, but it shall not be so prominent as to compel attention of persons passing by.

(4) Any liquor shop licensed for consumption on the premises shall not be deemed to be situated within prohibited distance referred to in clause (b) of sub-rule (2), if at any time after such licence is granted, any institution (education or religious), hospital, or bus stand etc. referred to in clause (b) of sub-rule (2) comes into existence within a distance of fifty meters or less from that shop:

Provided that the provisions of this rule shall not apply—

(a) to a shop which is existing at the present site since 31st March, 2007.

(b) to shops holding licence in form F.L.-1-B if they comply with the provisions of sub-rule (3).

Explanation.—For the purposes of this rule—

(a) "Educational institution" means any pre-primary, primary or secondary school managed or recognized by any local authority or the State Government or the Central Government and any college affiliated to any University established by law, but does not include any coaching institution.

(b) "Religious institution" means an institution for the promotion of any religion and includes temple, math, mosque, church or other place of pulic religious worship which is managed or owned by a public trust registered under the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 or any other enactment for the time being in force and shall include such other religious institutions as the State Government may by order specify in this behalf.

(c) The distance referred to in clause (b) of sub-rule (2) shall be measure from the mid point of the entrance of the shop along the nearest path by which a pedestrain ordinarily reaches—

(i) The mid-point of the nearest gate of the institution if there is a compund wall and if there is no compound wall the mid-point of the nearest entrance of the institution, or

(ii) The mid-point of the nearest gate of the Bus stand, Station or depot or Madhya Pradesh State Road Transport Corporation if there is a compound wall and if there is no compound wall the nearest point of the boundary of such Bus stand, station or depot.

(d) "Bus Stand" means bus stand of MPSRTC or of Municipal Corporation or any other local body as the case may be.

(e) "Hospital" means any hospital or nursing home run by State or Central Government or by any "Charitable Institution" where at least facilities of 10 Beds are available for admission and treatment or 10 patients.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (13).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (21)-बी-1-1-05-2-पांच, दिनांक 29 मार्च 2006 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों के लिए नीचे दिए गए अनुसार अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	अनुज्ञप्ति का नाम	अनुज्ञप्ति फीस	
1	सी.एस. 2-ग (अहाता अनुज्ञप्ति)	**शहरी क्षेत्र** रुपए 50,000 प्रति वर्ष	**ग्रामीण क्षेत्र** रुपये 25,000 प्रति वर्ष
2	सी.एस. 2-ग ग (प्रासंगिक कब्जा अनुज्ञापत्र)	रुपये 50,00 प्रति अनुज्ञापत्र	

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017 2-पांच (13), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (13).—In exercise of the powers conferred by clause (e) and (f) of sub-rule (1) of the Rule 9 of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 and in supersession of this department's notification No. (21) B-1-1-05-2-V, dated 29th March 2006 issued in this behalf, the State Government, hereby prescribes the licence fees as below for the following licences, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Licence	Licence Fees	
		Urban Area	**Rural Area**
1	C.S. 2-C (Ahata Licence)	Rupees 50,000 per year	Rupees 25,000 per year
2	C.S. 2-CC (Occasional possession Permit)	Rupees 50.00 per Permit	

2. This notification shall come into force from 1st April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड के (घ) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) तथा मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 6 के उप नियम (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, प्ररूप सी.एस. 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"प्ररूप सी.एस. 4-क"

देशी मदिरा परिवहन पास

[मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 का नियम 6 उपनियम 3 (ख) देखिए]

क्रमांक . . . .

दिनांक . . . .

(दो प्रतियों में)

भाग-एक : जारी करने वाले कार्यालय में अभिलेख के लिए रखा जाए.

भाग-दो : क्रेता अनुज्ञप्तिधारी के लिए इस भाग का उपयोग परेषण के परिवहन के दौरान किया जाएगा तथा तत्पश्चात् उसके अभिलेख का एक भाग बन जाएगा.

श्री/मेसर्स .... को, जो सी.एस.-2/सी.एस.-2 'ख' अनुज्ञप्तिधारी है. देशी मदिरा मद्य भाण्डागार .... से देशी मदिरा दुकान .... में स्थित उसके/उनके अनुज्ञप्त परिसर तक परिवहन के लिए यह अनुज्ञा पास प्रदान किया जाता है. इस अनुज्ञा पास धारक ने परिवहन की जा रही देशी मदिरा पर सम्यक् रूप से देय शुल्क के रूप में रुपए .... (अंकों एवं शब्दों दोनों में) चालान क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा जमा कर दिए हैं.

शर्तें

(1) परेषण को परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा और गंतव्य स्थान तक नजदीकी मार्ग से .... होते हुए ले जाएगा.

(2) वाहन क्रमांक .... इस देशी मदिरा भाण्डागार .... से आज दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में रवाना किया.

(3) यह अनुज्ञा पास दिनांक .... के .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न तक विधिमान्य रहेगा.

दिनांक ....

भारसाधक अधिकारी
देशी मदिरा मद्य भाण्डागार
.... (म. प्र.)

भाग-दो

(देशी मदिरा के ब्यौरे जिसका इस परिवहन पास के अधीन परिवहन किया जा रहा है)

अनुक्रमांक	देशी मदिरा का प्रकार	पेटियों की संख्या			बल्क लीटर	प्रूफ लीटर
		बोतल	अद्धी	पाव		
1.	25° यू.पी. मसाला (पेट)					
2.	25° यू.पी. मसाला (कांच)					
3.	50° यू.पी. प्लेन (पेट)					
4.	50° यू.पी. प्लेन (कांच)					
	योग . .					

भारसाधक अधिकारी
देशी मदिरा मद्य भाण्डागार
.... जिला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. बी-1-01-2017-2-पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2017-2-पांच (14), दिनांक 27 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2017

No. F-B-1-01-2017-2-V (14).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 62 read with sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and clause (b) of sub-rule (3) of Rule 6 of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, in the Schedule, after form C.S. 4, the following form shall be added, namely:—

"FORM C.S. 4-A"
Country Spirit Transport Pass

[See Subrule 3 (b) of Rule 6 of Madhya Pradesh Country Spirit rules 1995]

No. . . . .

Date . . . .

(IN DUPLICATE)

PART I	:	To be retained in the office of issue.
PART II	:	For the purchasing licensee. This part will cover the consignment during transit and there after become a part of his records.

This transport pass is granted to Mr./Messrs . . . . .holder of C.S. 2/C.S.2(B), licence, to transport to his/their licensed premises at . . . . .proof litres of country spirit from country liquor ware house . . . . This permit holder has deposited Rs. . . . .(in figures and words both), as duty payable on country spirit, being transported, by challan no. . . . . dated . . . .

CONDITIONS

(1) The consignment, shall not be broken in transit and shall be routed to the destination Via . . . .

(2) Vehicle no. . . . . has left this 'Country Spirit Warhouse' today . . . . .at . . . . A.M./P.M. on . . . .

(3) This permit is valid up to . . . . A.M./P.M. of . . . .

Date . . . .

Officer-in-charge
Country Spirit warehouse
. . . . (M.P.)

PART-TWO

(Details of country spirit that is being transported under the cover of this transport pass)

S. No.	Kind of Country Spirit	No. of Boxes			Bulk	Proof
		Quart	Pint	Nip	Litres	Litres
1	25° U.P. masala (Pet)					
2.	25° U.P. masala (Glass)					
3.	50° U.P. plain (Pet)					
4.	50° U.P. plain (Glass)					
	Total . .					

Officer-in-charge
Country Spirit warehouse
. . . . District . . . .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.